Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



DIPP Point No. 92

Question	Remarks		
5a. Environmental Registration Enablers	All green industries having investment less than		
Q: Exempt select green industries from pollution control board clearances	50 Lakh are exempted from obtaining PCB clear-		
	ances. Photovoltaic industry is also exempted. Recently, JSPCB has also adopted CPCB's revised		
	categorization of industries, with industries un-		
	der white exempted from PCB clearances		

URL:

http://www.jspcb.org/Information/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf

http://www.jspcb.org/Notification/B-10%20dated%2009.09.2015.pdf

http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20No.-B-81.pdf

http://www.jspcb.org/Information/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf



सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वैसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या—19628—19629/09—दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है । हरी श्रेणी के इकाईयों की विस्तृत सूची पर्षद के वेब साईट www.jspcb.org पर उपलब्ध है ।

exempted

Green

Industries


यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । बशर्ते कि पर्षद् के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नहीं दिया गया है।

ह0/-प्रभारी सदस्य सचिव

Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



http://www.jspcb.org/Notification/B-10%20dated%2009.09.2015.pdf




Photovoltaic industry is also exempted

Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20No.-B-81.pdf



Green
Industries with
investment less
than Rs 50 L
exempted





झारखपंड राज्य प्रवृषण मिसंत्रण पर्वव

्नांच प्रशासन भवन, एवंठ इंठ सीठ, सुवी; संधी व्याम : (0651) 2400051, 2400852, फैल्मा :- 0681-2400850

अधिश्चना

अधिसूचना संख्या है - है।

राजी, विवांकः 16/1/13

पर्यव मंडल की 26 वीं बैठक विनांक 06.04.2013 के कार्यवाती शंख्यां 6 में लिए नये निर्णय प्रयोग अपने किया किया किया की बैठक विनांक 09.01.2013 (पर्भव मापांक - जी 143, विनांक 09.01.2013) में तिये लये निर्णय के आहोक में पूर्व में निर्णत NOC Guideline में निर्णाधिक शंशीधन किया जाता है:-

- 1. Green Category Units को NOC प्राप्त करने के घुट की शीमा पूर्व में पर्धव की अधिशृषना शंख्या -22, विनाक 22.03.2005 के घारा Plant & Machinery बा Investment की शिमा २० १० साइन तक थी, को नवा कर २, ६० साइन किया जाता है। उत्तत शिमा की अपना शिक मुनीनरी के साजत पर साझू है, उसमें जेनरेटर की अर्थ (50 KVAतक) समिनित कर्ष है। अन्य शर्त पूर्ववत रहेंगे।
- 2, 50 KVA तक के इंग्रता वाले D.G. Set (with adequate acoustic enclosure) जिनकी लानत २० ५० तक तक हो को पर्वव से सहमति होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाईल दावर के NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ववत् वन उवं पर्यावरण विभाग, वारश्यक सरकार के आवश्य पत्र संख्या -03/पर्वा० प्रवृ०-05/11-1418, विनांक 15/04/2011 से निरूपित होजी।
- 3. Orange Category Units जो पूर्व में Orange Special Category Part D, Orange Special Category part E, Orange Ordinary Category part F तीन, आज में विभावत थे लागी को Orange Category नामित करते हुए Guideline निजन स्था लंगीयित किया जाता है।

L No.	Minimum distance from		Distance
1.	NH		100 Mtr
2.	SH		100 Mtr
3.	Dist Metal Road		50 Mtr
4.	Railway Line		100 Mtr
5.	River		100 Mtr
6.	Any Other River	W. I	100 Mtr
7.	. Habitation .		200 Mtr
8.	Forest/ Forest Land		400 Mtr
	Forest/ Forest Land अधिसूचना आवेश निकशने की रि	तथि शे	- 3

१०/-(शंजय चुमार शिक्षा) शवस्य शिक्ष- कापांक :

र्शिची, विनाव्य :

प्रतितिति - प्रधान शचिव, वन उवं प्रधावरण, विभान, स्रांप्ट्राप्ट शरकार, शिक्षी शचिव, वद्योन विभाग, सार्प्ट्राप्ट शरकार श्रेंबी/निवेशक सर्थान, नार्प्ट्राप्ट सेंबी / मुख्य कार्प्ट्रपना निरीक्षाक, सार्प्ट्राप्ट शेंबी/ अध्यक्ष, नार्प्ट्राप्ट बेंबर और्फ कॉमर्स, शेंबी को श्रुचनार्थ उव आवश्यक कार्र्याई हेतु प्रेथिता

> 'हं0/-(शंजन कुमार खिना) शंदरय शक्ति

myia B - 4708

eta farias . 16 78 113

प्रतिक्षिप - 1. शशी शास्त्रा प्रयाग (मु०)/शङ्गीः क्षेत्रीय प्रवाधिकाशि/शङ्गीः प्रवाधिकाशियाँ / कर्मचारियों को शुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् द्रेपित।

2. आ२२वण्ड राज्य प्रवृद्धारा निवंत्रपा पहित् के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।

वंद्यम क्षुत्राट शिक्त शवस्य संसिद्ध भी





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. Division Building, HEC, Complex, Dhurwa, Ranchi Ph.: (0651)-2400852, 2400851, 2400902, 2400979, Fax: 2400850

Ref. No. 13-10

Dated 0919/15

Notification

In anticipation of approval of the Board of Directors of the Jharkhand State Pollution Control Board (hereinafter called as Board), minor modification is hereby made in Notification no B-21, dated 16-08-2013 of the Board to the extent that Solar PV Power Projects will be exempted from obtaining any NOC/consent for establishment and consent to operate under the pollution control laws from Jharkhand State Pollution Control Board, irrespective of quantum of investment.

All other conditions will remain unchanged.

Sd/-(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

Memo No 3348

Ranchi, Dated 09/9/15

Copy to: Principal Secretary, Department of Environment, Forests and Climate Change/ Principal Secretary, Department of Energy, Government of Jharkhand/All Regional Officers/ All Section Heads for information and necessary action.

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

Memo No 13-3348

Ranchi, Dated 09/9/15

Copy to: PS to Chief Secretary, Government of Jharkhand for information in pursuance of the decision taken in the high level meeting regarding setting up Solar Power Plants in the State held under the chairmanship of the Chief Secretary on 25-08-2015.

(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

do



इतारखण्ड (इत्राध्वः)

झारखण्ड राज्यं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद "

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, रॉची दूरभाष: (0651) 2400851, 2400852, फैक्स: 0651-2400850

43its 61358

रॉघी, दिनांक 1. У. 1

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वैसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या—19628—19629/09—दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है । हरी श्रेणी के इकाईयों की विस्तृत सूची पर्षद् के वेब साईट www.jspcb.org पर उपलब्ध है ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । बशर्ते कि पर्षद् के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नहीं दिया गया है।

ह0 / --प्रभारी सदस्य सचिव

ज्ञापांक ५१७७४

राँची, दिनांक ।))

प्रतिलिपिः सभी शाखा प्रमुख / प्रशासी पदाधिकारी / सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी / किनय पर्यावरण अभियन्ता / वैज्ञानिक सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय / सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रैंषित ।

प्रभारी सदस्य सचिव

01.2